कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1255 / FP/UK/ROAD/19447/2016 :देहरादून: दिनांक: 22 नवम्बर, 2021

सेवा में,

सचिव (प्रभारी),
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी के अर्न्तगत ज्ञानसू– साल्ड मोटर मार्ग से गमदिड गॉव–लटूडगॉव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0. 9825 है0 वन भूमि के प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के संबध में । प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/19447/2016

संदर्भः–उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–984/x-4-16/1(317)/2016 दिनांक 30.09.2016।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड मुनिकीरेती, पत्र संख्या–927/ 12–1(2) दिनांक 01.11.2021 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

S.NO.	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आसपास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों पर समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी।	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 11,49,024.00(ग्यारह लाख उनपचास हजार चौबीस रू0 मात्र) की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गयी है।(संलग्नक–1,2,3)
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उचचतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0 सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007– एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निधारित राशि जमा की जाएगी।	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा 0. 9825 है0 के बदले एन0पी0वी0 की धनराशि 8,30,212.00(आठ लाख तीस हजार दो सौ बारह रू0 मात्र) वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गयी है।(संलग्नक–1,2,3)
3.	प्रयोक्ता अभिकारण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा समस्त शर्तो। का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्नक–4)
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007– एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी अलग निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकर्म), ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स फेज–01 लोधी रोड नई दिल्ली– 110003 में जमा की जायेगी।	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा इस शर्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गये डिमान्ड नोट के आधार पर NEFT/RTGS चालन के माध्यम से Corporation Bank,Lodhi complex,Branch,block11,CGO complex phase-1 Lodhi Road,New Delhi-110003 Utranchal Camp के खाता सं0–150896119447764,IFSC CODE-CORP0000371 में रू0 8,30,212.00(आठ लाख तीस हजार दो सौ बारह रू0 मात्र) जमा कर दी गयी।(संलग्नक–1,2)

5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उचचतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0 सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007– एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरापण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स,फेज–1, लोधी रोड नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट/ चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण एवं बिन्दुवार अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0,क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य जमा की गयी धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति मान्य होगी।	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा इस शर्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गये डिमान्ड नोट के आधार पर NEFT/RTGS चालन के माध्यम से Corporation Bank,Lodhi complex,Branch,block11,CGO complex phase-I Lodhi Road,New Delhi-110003 Utranchal Camp के खाता सं0–150896119447764, IFSC CODE-CORP0000371 में रू0 8,30,212.00(आठ लाख तीस हजार दो सौ बारह रू0 मात्र) जमा कर दी गयी।(संलग्नक–1,2)
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्नक–5)
7.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव में नीहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा, शर्त सं0 07 मान्य है।
8.	प्रस्तावक विभाग/ एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम–2006 में निहित प्रावधानों के अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों/ प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवश्यक अभिलेखों/ प्रपत्रों को पर्व में ही प्रस्ताव के साथ ऑनलाईन कर दिया गया है।
9.	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जाएगी।	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा समस्त निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,

संख्या– 1255 /FP/UK/ROAD/19447/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती के पत्र संख्या–927/ 12–1(2) दिनांक 01.11..2021 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,